अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985

THE SUBORDINATE OFFICES MINISTERIAL STAFF (DIRECT RECRUITMENT) RULES, 1985

तथा

समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985

GROUP "D" EMPLOYEES SERVICE RULES, 1985

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना
संख्या 20/3/82-कार्मिक-2, दिनांक 16 मार्च, 1985 तथा
संख्या 20/3/82-एक-कार्मिक-2, दिनांक 16 मार्च, 1985

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 20/3/1982-कार्मिक-2-85-एक

लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 1985

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह "घ" का कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली का लागू होना

2--(1) यह नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा-परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट समूह "घ" के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर-तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

इस नियमावली का अधिभावी प्रभाव

3 -इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में--

(एक) इस नियमावली में दिये गये उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विनिर्दिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों,

(दो) विनिर्दिष्ट नियमों में दिये गये उपबन्ध अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

परिभाषाएं

4--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में--

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे विशिष्ट विभाग में किसी ऐसी श्रेणी या श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

भाग-तीन-भर्ती

6—समूह "ग" के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा— भर्ती का स्रोत

(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्राश, सफाईकार, पानीवाला भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठाने वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	सीधी भर्ती द्वारा
(ख) चपरासी/जमादार	स्थायी चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा
(ग) दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	अर्ह चपरासियों, संदेशवाहकों, या फर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(घ) फर्राश जमादार	स्थायीफर्राशों में से पदोन्नति द्वारा
(ङ) सफाईकार जमादार	स्थायी सफाईकारों में से पदोन्नति द्वारा
(च) प्रधान माली	स्थायी माली में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

भाग-चार अर्हता

7—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। आरक्षण

8—समूह "घ" के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी — राष्ट्रिकता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसमें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) व (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

…egories of

direct recruitment.

By promotion from amongst permanent peons.

By promotion from amongst qualified peons, Messengers and Farrashs.

By promotion from amongst permanent Farrash.

By promotion from amongst permanent Sweepers.

By promotion from amongst permanent Malies.

…andidate is available …s required to be filled … direct recruitment.

…ON

…onging to Scheduled …categories shall be in …nent in force at the

…p 'D' post must be—

…over to India before … permanently settling

…o has migrated from …ast African countries … Republic of Tanzania …ar) with the intention

… to category (*b*) or (*c*) … certificate of eligibility …nt :

…elonging to category …ertificate of eligibility … of Police, Intelligence

(ग) "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है,

(घ) "अधिष्ठान" का तात्पर्य समूह "घ" के उस अधिष्ठान से है जिसके अन्तर्गत पद हों;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है जिसके अन्तर्गत उसकी लखनऊ बेंच भी है;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का निर्देश सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है किन्तु इसके अन्तर्गत सचिवालय, राज्य विधान मंडल लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं है;

(झ) "छटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है :

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिये, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो; और

(तीन) जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो - संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

5—किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह "घ" के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा:

परन्तु यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से किसी अधिष्ठान में ऐसे स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकता है, जो आवश्यक समझे जायें।

ategory (c) a period of retained in required Indian

cate of eligibility sued nor refused be provisionally being obtained

Group 'D' post must not have July of the year

ase of candidates Tribes and such government from of years as may be

he post of peon, e passed at least

ired for any other iven to a person d write Hindi in

tment to the post te knowledge per- experience of that

intment as Daftri, equisite knowledge ce of that work.

ointment as cyclo- hnical knowledge, chnical knowledge particular job.

category of Group

be applicable to

erritorial Army for things being equal, recruitment to the

ge-limit educational irements of recruit- abled military per- ying in action, de- servants dying in ice with the general

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

णी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक न्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9—समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये: आयु

रन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, रकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

10—(1) चपरासी, संदेशवाहक या साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। शैक्षिक अर्हताएं

(2) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिये कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी जो शिक्षित हो या कम से कम देव-री लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो।

(3) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति दफ्तरी/जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव हो।

(5) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित भव न हो।

6) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि र्थी साइकिल चलाना जानता हो:
परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।

(7) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जायगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम तक सेवा की हो।

11—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, र प्रदेश सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता या और भर्ती भूतपूर्व सैनिकों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिये छूट

"this behalf in force a

for direct recruitment mu
e in all respects for employ
ll be the duty of the appoint
on this point.

the State Government or th
l authority or a corporation
by the Union Government o
ed ineligible for appointmen
t. Persons convicted of a
e shall also be ineligible.

more than one wife living or
d a man already having a wif
appointment to the Establish

nay, if satisfied that there exis
mpt any person from the oper

ppointed to the Establishmen
l bodily health and free from
erfere with the efficient perfor
andidate is finally approved fo
nt he shall be required to pro
ss in accordance with the rules
10 and contained in Chapte
ok, Volume II, Part III.

cruitment to all the Group'D'
in the subordinate offices
ment shall be made in accor-
down in the succeeding rules.

FOR RECRUITMENT

direct recruitment there shall
tee to be constituted by the
for purposes of recruitment to
n a district :

ent may, for any special reasons,
ction Committee in respect of a
or more years.

nstituted by the Government
rules are as follows :

ee for Allahabad,

.. .. *President*

; and Stationery .. *Member*

District Magistrate .. *Member*
bad.

ो किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त वृत्त सरकार के सामान्य नियम या आदेश के अनुसार होगी।

12—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह अधिष्ठान में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लें। — चरित्र

टिप्पणी:—राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13—अधिष्ठान में नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो: — वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

14—किसी भी अभ्यर्थी को अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। — शारीरिक स्वस्थता

15—एक जिले में, अधीनस्थ कार्यालयों में समूह "घ" के समस्त ऐसे पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, भर्ती एक ही साथ की जायगी। ऐसी भर्ती अनुवर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। — एक जिले में समस्त कार्यालयों म सीधी भर्ती

भाग—पांच—भर्ती की प्रक्रिया

16—सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति होगी जिसका गठन सरकार द्वारा किसी जिले में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती के प्रयोजनार्थ समय-समय पर किया जायेगा: — चयन समिति का गठन

परन्तु सरकार किसी विशेष कारण से किसी विशेष जिले के सम्बन्ध में किसी एक या अधिक वर्ष के लिये एक से अधिक चयन समिति का गठन कर सकती है।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सरकार द्वारा गठित चयन समितियां निम्नलिखित हैं:

(क) इलाहाबाद के लिये जिला चयन समिति

(1) आबकारी आयुक्त — अध्यक्ष

(2) अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री — सदस्य

(3) इलाहाबाद जिले में तैनात ज्येष्ठतम अपर जिला मजिस्ट्रेट — सदस्य

(4) इलाहाबाद में तैनात कार्यालय अध्यक्षों के पैनल से, जो आबकारी आयुक्त द्वारा तैयार किया जायगा चक्रानुक्रम से, एक कार्यालय अध्यक्ष	सदस्य
(5) आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला स्तर अधिकारी जो अनुसूचित जाति का हो।	सदस्य
(6) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(7) संभागीय सेवायोजन अधिकारी, इलाहाबाद	सदस्य/ सचिव

(ख) कानपुर के लिये जिला चयन समिति

(1) उद्योग निदेशक या श्रम आयुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम द्वारा (वर्ष 1984 के लिये उद्योग निदेशक और 1985 के लिये श्रम आयुक्त, और इसी प्रकार)	अध्यक्ष
(2) कानपुर जिले में तैनात ज्येष्ठतम अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
(3) कानपुर में तैनात कार्यालय अध्यक्षों के पैनल से जो चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायगा, चक्रानुक्रम से, एक कार्यालय अध्यक्ष	सदस्य
(4) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला स्तर अधिकारी जो अनुसूचित जाति का हो,	सदस्य
(5) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(6) संभागीय सेवायोजन अधिकारी, कानपुर	सदस्य/ सचिव

(ग) लखनऊ के लिये जिला चयन समिति

(1) आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ	अध्यक्ष
(2) लखनऊ में तैनात विभागाध्यक्षों में से, चक्रानुक्रम से, एक विभागाध्यक्ष या संबद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट समूह "क" का कोई अधिकारी (पैनल आयुक्त द्वारा तैयार किया जायगा)	सदस्य
(3) आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट समूह "क" का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति का हो।	सदस्य
(4) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(5) संभागीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ	सदस्य

(घ) इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ से भिन्न जिलों के लिये चयन समिति

(1) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(2) मण्डल आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट समूह "क" का एक अधिकारी (तीन अधिकारियों का एक पैनल बनाया जायगा जिसमें से सदस्य की नियुक्ति की जायगी)	सदस्य
(3) मण्डल आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट समूह "क" का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति का हो	सदस्य
(4) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(5) यथास्थिति, जिला या संभागीय सेवायोजन अधिकारी	सदस्य/ सचिव

rules shall, subject
ll- the subordinate
recruitment.

in a district shall intimate
strict Selection Committee
nder his control to be filled
nd which are likely to fall
. It shall be specified how
or the candidates belonging
ategories for whom res-
accordance with the orders
ne to time.

ued under sub-rule (1) with-

rict Selection Committee
d within any other month
sent accordingly.

f the vacancies from the
have been received the
l to the Employment Ex-
strict Selection Committee.

e general candidates and
ncies are required to be
overnment) have been
it shall interview the candi-
various posts. The total

ction committee shall give
ees awarding marks in the

d year .. 5 marks

ry completed .. 5 marks.

ks awarded to a retrenched
ll not exceed 15 marks.

te to be selected will be
25 per cent) than the
selection has been made.
e arranged according to
w

sts respectively (of General
s) shall be prepared. One
e Secretary of the Selection
nt to the President of the

candidates (both general
e in such a way that each
eral and reserve candidates.
preference may be obtained

17—किसी जिले में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिये, रिक्तियां विद्यमान होने पर इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन, भर्ती वर्ष में एक बार किया जायगा। — भर्ती प्रतिवर्ष की जायगी

18—(1) किसी जिले में किसी कार्यालय का प्रधान अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालय या कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली ऐसी रिक्तियों की जो विद्यमान हो या जिनकी भर्ती के वर्ष में होने की सम्भावना हो, लिखित सूचना जिला चयन समिति के सचिव को देगा। सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जायगा कि अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के, जिनके लिये समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण किया जाना अपेक्षित हो, लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित की जायगी। — रिक्तियों की सूचना जिला चयन समिति को दी जायेगी

(2) रिक्तियों की सूचना उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में दी जायेगी:

परन्तु यदि जिला चयन समिति वर्ष के किसी अन्य मास में रिक्तियां सूचित किये जाने की अपेक्षा करें तो सूचना तदनुसार भेजी जायेगी।

19—(1) जब जिले में विभिन्न विभागों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त हो जाय, तब जिला चयन समिति के सचिव द्वारा रिक्तियों की औपचारिक सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। — सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना

(2) जब सामान्य अभ्यर्थियों और रक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिये सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियां आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम चयन समिति को प्राप्त हो जायें, तब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। साक्षात्कार के लिए कुल अंक 50 होंगे।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारी को महत्व देने के लिये निम्नलिखित रीति से अंक देगी:

(एक) प्रथम एक पूरे वर्ष की सेवा के लिए .. 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक

परन्तु इस उप नियम के अधीन छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला अधिकतम अंक 15 अंक से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से, जिनके लिये चयन किया जाय, अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत ज्यादा से अधिक नहीं) होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

(5) क्रमशः सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूचियों की दो प्रतियां तैयार की जायेंगी। एक प्रति चयन समिति के सचिव के कार्यालय में रखी रहेगी और दूसरी चयन समिति के अध्यक्ष को भेजी जायेगी। — चयन किये अभ्यर्थियों का आवंटन

20—चयन किये गये अभ्यर्थियों (दोनों सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थी) का आवंटन इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक कार्यालय के लिये अपेक्षित संख्या में सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थी मिल जायें। चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी से विभिन्न कार्यालयों के संबंध में अधिमान क्रम उपदर्शित करते हुए उसका विकल्प प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न कार्यालयों में आवंटन अभ्यर्थियों की अधिमानता और प्रशासन की आवश्यकता और अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटन के कार्यालय में नियुक्ति